न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 99/2016/225 आर टी ए

गिरदावरी पुत्री लिछमण पत्नि रायसिंह जाति मेघवाल निवासी ढाणी चक 5 एएसएस बीराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–– अपीलांट

बनाम

1. जयलाल पुत्र लिछमण जाति मेघवाल निवासी ढाणी चक 5 एएसएस बीराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 26.05.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा

प्रकरण संख्या 88/2015 अनवानी गिरदावरी बनाम जयलाल

उपस्थित :–

श्री विजय सिंह कड़ावासरा अधिवक्ता अपीलांट

श्री प्रदीप मोहन भाटी अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–26.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करते हुए इसके साथ विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर सायला अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अन्य साक्ष्य पर गौर ना करते हुए नियम विरूद्ध पारित किया गया है जो काबिले खारिज

सत्यमेव जयते
WEB COPY Not official

है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दफा 212 आरटीए के तीन महत्वपूर्ण बिन्दूओ का कोई विश्लेषण ना करते हुए केवल सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज किया है। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दू पर गौर नही किया है कि जब परिवार के सदस्य के बीच भूमि को लेकर विवाद है वहां पर रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ स्थगन जारी किया जा सकता है मगर विचारण न्यायालय ने इस बिन्दू के की ओर भी कोई ध्यान नही दिया है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी सही सुनवाई के कतई गलत आधार पर बिना किसी सही विश्लेषण के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे सायला अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होती है उसके खातेदारी हकूक का हनन होता है। प्रार्थना पत्र दफा 212 आरटीए को प्रस्तुत करने का मुख्य उदेश्य है कि ताफैसला वाद विषयवस्तु का संरक्षित रखना है तथा विचारण न्यायालय ने निषेधाज्ञा जारी ना कर गैरसायल/रेस्पो0 को वादग्रस्त भूमि हस्तान्तरित व रिकार्ड को परिवर्तित करने की खुली छुट दे दी है। प्रार्थना पत्र दफा 212 आरटीए के तीन महत्वपूर्ण बिन्दू साबित थे मगर मातहत अदालत ने इन बिन्दूओ का विश्लेषण ना कर केवल सायला अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने मे रूची दिखाई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 26.05.2016 को अपास्त किया जावें तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि बाबत ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांटा वादग्रस्त भूमि मे किसी प्रकार का हक व हिस्सा नही रखती है क्योंकि अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि मे अपने हक व

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

हिस्सा का त्याग जरिये दस्तबरदारी दिनांक 08.10.2001 को रेस्पो0 के पक्ष मे कर दिया गया था। दस्तबरदारी दिनांक 08.10.2001 एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है। अपीलांट का यह कथन कि उक्त दस्तबरदारी अपीलांट द्वारा नही करवाई है, कतई गलत एवं आधारहीन है। अपीलांट को उक्त दस्तबरदारी उपपंजीयक द्वारा पढ़कर सुनाई जाकर समझा दी गई थी तथा सुन व समझ कर सही होना स्वीकार करने पर ही उक्त दस्तबरदारी को तस्दीक रजिस्टर किया गया था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि की अपीलांट द्वारा दस्तबरदारी करवाने के बाद अपीलांट का वादग्रस्त भूमि किसी प्रकार कोई हक व हिस्सा शेष नही रह जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए प्रार्थना पत्र दफा 212 आरटीए खारिज किया गया जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करते हुए इसके साथ विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये अपीलांट का प्रार्थना पत्र यह उल्लेखित करते हुए खारिज किया गया कि ''प्रार्थीया पूर्व मे ही अपना हक त्याग कर चुकी है। रिकार्ड मे प्रार्थीया का हिस्सा दर्ज नही है। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।'' अपीलांटा ने

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि अपना 1/6 हिस्सा पूर्व मे दर्ज होने का कथन करते हुए दस्तबरदारी दिनांक 08.10.2001 को अस्वीकार करते हुए अपने हको की घोषणा का अनुतोष चाहते हुए वादग्रस्त भूमि अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया जबकि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि मे अपने हक व हिस्सा का त्याग जरिये रजिस्टर्ड दस्तबरदारी दिनांक 08.10.2001 को जयलाल रेस्पो0 के पक्ष मे किया गया चुका है तथा उक्त दस्तबरदारी एक रजिस्टर्ड दस्तोवज है। अपीलांट उक्त दस्तबरदारी मे वर्णित अपने कथनो से विबंधित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए विधिसम्मत रूप से सही खारिज किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि प्रकट नही होती है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official